

प्रेषक:

राजेश कुमार पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में:

कार्यालय

पुस्तकालय एवं ग्राम नियोजन
पत्र विभाग
पत्र संख्या ३४७७

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
3. अध्यक्ष,
समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्षः
समरत विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३

विषय: प्रदेश में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने वाले प्रकरणों का वर्गीकरण कर, अनिवार्य निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

(भारत सरकार के चार्टर Business Reform Action Plan 2017 के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि प्रदेश में विनियमितीकरण की कार्यवाहियों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने वाली कार्यवाही में प्रकरणों को हाई-रिस्क के अन्तर्गत वर्गीकृत कर, प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण किये जायें) इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में गठित समिति द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के सम्बंध में प्राधिकरण/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित कालोनियों के भूखण्डों के प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण जिनके आवासीय भूखण्ड निजी क्षेत्र के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप हो; को हाई-रिस्क की श्रेणी में नहीं समझा जायेगा। साथ ही महायोजनाओं में चिह्नित निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित 100 वर्ग मी० तक के आवासीय निर्माण को भी हाईरिस्क की श्रेणी से बाहर रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरण हाई-रिस्क की श्रेणी में माने जायेंगे।

2— इस सम्बन्ध में गुड़े यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रकार से वर्गीकृत प्रकरण जिन्हें हाई-रिस्क की श्रेणी में नहीं रखा गया है, के सम्बन्ध में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों के निरस्तारण हेतु स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त हाई-रिस्क प्रकरणों में स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट की जा सकती है। उक्त घटनाक्रम को ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के साथ सर्व सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डे)
विशेष सचिव

संख्या—1090 (१)/ ८-३-१७-३६ विविध/ 16—तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।
3. गाड़ी फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार रिंह)
अनु सचिव